

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- रोस्टर
- सेवाएं
- हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न
- हमें संपर्क करें

पूर्वाह्न 10.00 से अपराह्न 5.00 बजे तक(सोमावार से शनिवार)

छुट्टी का दिन प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार About Transport Department :



परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों जैसे केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 एवं दमण एवं दीव मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत कार्य करता है। गोवा, दमण एवं दीव मोटर वाहन अधिनियम, 1974, गोवा, दमण एवं दीव मोटर वाहन कर नियमावली, 1974, गोवा, दमण एवं दीव मोटर वाहन कर (यात्रियों एवं माल-सामान पर कराधान) एवं गोवा, दमण एवं दीव मोटर वाहन (यात्रियों एवं माल-सामान पर कराधान) नियमावली, 1975 के प्रावधान के अनुसार कर लागू किया जाता है। परिवहन विभाग विभिन्न सेवाएं जैसे - ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट जारी करने व नवीकरण करने मोटर वाहनों का पंजीकरण करने, परिमित मंजूर करने, नवीकरण करने प्रदान करता है।

हमारी वेबसाइट से जनता को निम्नलिखित जानकारियाँ मिलती हैं :

- इस विभाग के बारे में
- विभिन्न सुविधाएं एवं सेवाएं जिन्हें विभाग जन सामान्य को प्रदान करने का प्रयास करता है
- मानक कार्य जिसे यह विभाग अपने कार्य निष्पादन के लिए बनाता है
- जिस माध्यम से जन सामान्य सुझाव दे सकते हैं एवं अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं
- उपाय एवं जरिया, जिसके माध्यम से जन सामान्य इस विभाग को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए मदद कर सकते हैं

सेवाओं का मानक :

परिवहन विभाग के कर्मचारियों से नागरिक निम्नलिखित मानक सेवाएं अपेक्षा कर सकते हैं

- आवेदक के साथ वर्ताव करते समय सहायतापूर्ण एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार
- समय पर एवं प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य निष्पादन से संबन्धित आचरण
- गणवत्ता एवं मानक सेवाओं में उन्नत करने का प्रयास

चूँकि परिवहन विभाग आम जनता का कार्य करता है, इसलिए कार्य करते समय ध्यानपूर्वक पूरा यत्न किया जाता है।

हमारी सेवाओं के लिए तुरंत लिंक

- नौसिखिया लाइसेंस

- स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस
- स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण
- डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करना
- अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना
- मोटर वाहन का पंजीकरण
- पंजीकरण का नवीकरण
- मोटर वाहन का परिवर्तन
- मालिकाना स्थानान्तरण
- नये पंजीकरण चिह्न का निर्धारण
- अनापत्ति प्रमाणपत्र
- आवास में परिवर्तन
- किराये पर खरीदी करार सुविधा प्रदान
- किराये पर खरीदी करार का समाप्तिकरण
- पंजीकरण करने के विवरण जारी करना
- पंजीकरण का समाप्तिकरण
- उपयुक्तता प्रमाणपत्र का नवीकरण करना
- परमिट की आवश्यकता
- [अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र](#)
- [मोटर वाहन कर](#)
- [यात्रियों एवं माल-सामान पर कर](#)
- [पता एवं आयु की सटीकता के बारे में प्रमाण](#)
- [कराधान अनुसूची](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

नौसिखिया लाईसेंस प्राप्त करने के लिए जानकारी :

- केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 4 के अनुसार आवेदक की आयु प्रमाणित करने के लिए साक्ष्यांकित दस्तावेजों की प्रतिलिपि .
 - पासपोर्ट आकार के दो फोटो
 - प्रमाणपत्र के साथ संबन्धित प्रपत्र /नीचे उल्लेख के अनुसार चिकित्सीय उपयुक्तता घोषणापत्र :
- **यदि आवेदक 40 वर्ष की आयु से कम हो, तो गैर-परिवहन वाहन के लिए नौसिखिया लाईसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया**

1. प्रपत्र संख्या. 1 भरें (चिकित्सीय उपयुक्तता घोषणापत्र)
2. प्रपत्र संख्या. 2 भरें
3. **देय शुल्क** : प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए रुपये. 30/- . प्रत्येक परीक्षण के लिए रुपये. 10/-.
4. **समय** : महीने के शनिवार, दसवें एवं अन्तिम दिनों को छोड़कर सभी कार्यालय दिवस में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक शुक्ल प्राप्त किया जाता है . महीने के शनिवार, दसवे एवं अन्तिम दिन में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक नकद स्वीकार किया जाता है ।
5. **बायोमेट्रिक्स** : आवेदक के विवरण की प्रविष्टि सहित बायोमेट्रिक्स उसी दिन लिया जाता है ।
6. **परीक्षण** : प्रत्येक मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार को पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 1:00 बजे तक योग्यता परीक्षा ली जाती है ।
7. **निपटान** : योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होने के तीन दिनों के भीतर .

- **अन्य सभी मामलों में नौसिखिया लाईसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया :**

1. प्रपत्र संख्या-1 'क' भरें (पंजीकृत चिकित्सक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाणपत्र)
2. प्रपत्र संख्या-2 भरें
3. आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए (प्रमाण उपलब्ध कराना चाहिए).
4. **देय शुल्क** : प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए रुपये.30/- . प्रत्येक परीक्षण के लिए रुपये 10/-.
5. **समय** : महीने के शनिवार, दसवें एवं अन्तिम दिनों को छोड़कर सभी कार्यालय दिवस में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक शुक्ल प्राप्त किया जाता है . महीने के शनिवार, दसवे एवं अन्तिम दिन में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक नकद स्वीकार किया जाता है ।
6. **बायोमेट्रिक्स** : आवेदक के विवरण की प्रविष्टि सहित बायोमेट्रिक्स उसी दिन लिया जाता है ।
7. **परीक्षण** : प्रत्येक मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार को पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 1:00 बजे तक योग्यता परीक्षा ली जाती है ।
8. **निपटान** : योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होने के तीन दिनों के भीतर ।

डाऊनलोड संबन्धी प्रपत्र :

- [प्रपत्र संख्या. 1 \(चिकित्सीय उपयुक्तता संबन्धी घोषणापत्र\)](#)

- [प्रपत्र संख्या. 1-क \(पंजीकृत चिकित्सक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाणपत्र \)](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें :

नोंसिखिया लाइसेंस प्राप्त करने की तिथि से एक महीने के बाद आवेदक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

- **स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया :**

1. प्रपत्र संख्या 4 भरें
2. प्रपत्र - 5 में विद्यालय अथवा स्थापना द्वारा जारी किये गए ड्राइविंग प्रमाणपत्र .
3. **देय शुल्क** : लाइसेंस के लिए रुपये.200, प्रत्येक श्रेणी के वाहन हेतु परीक्षण के लिए रुपये.50/-.
4. **समय** : शनिवार, दसवें एवं महीने के अन्तिम दिन को छोड़कर सभी कार्यालय दिवस में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक शुल्क सहित आवेदन पत्र परिवहन कार्यालय की नकद खिडकी में देना होता है । शनिवार, महीने के दसवें और अंतिम दिनों में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक नकद राशि प्राप्त किये जाएंगे
5. **वाहन चालाने के लिए सक्षमता परीक्षण** : प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और शुक्रवारको पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.00 बजे तक .
6. **यदि आवेदक परीक्षण उत्तीर्ण नहीं कर पाता तो सात दिनों के भीतर पुनः परीक्षण दे सकता है** : ऊपर उल्लेख के अनुसार परीक्षण शुल्क संग्रह किया जाएगा एवं प्रत्ये मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से 1:00 बजे तक परीक्षण संचालित किया जाएगा ।
7. **निपटान** : ड्राइविंग के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के तीन दिनों के बाद ।

नोट : आवेदक तीन बार ड्राइविंग के लिए परीक्षण में उत्तीर्ण न हो पाने के मामले में वह उक्त परीक्षण के लिए छह दिनों की समाप्ति के पहले अर्हता नहीं रखेगा ।

डाउनलोड संबन्धी प्रपत्र :

- [प्रपत्र संख्या. 4](#)
- [प्रपत्र संख्या. 5 \(परिवहन वाहन के लिए लाइसेंस के मामले में \)](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

अपने स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस कैसे नवीकरण करें :

- **स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रक्रिया :**

1. प्रपत्र 9 भरें ।
2. प्रपत्र 1क भरें (पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाणपत्र)
3. **देय शुल्क** : रुपये 250.00 (प्रतिवर्ष जुर्माना रुपये.50.00)
4. **निपटान** : उक्त शुल्क भुगतान के तीन दिनों के भीतर

Download Related Forms :

- [प्रपत्र संख्या. 9](#)
- [प्रपत्र संख्या 1 के भरें \(पंजीकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाणपत्र\)](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

जानें कैसे डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें :

- **डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया :**

1. एलएलडी में आवेदन एवं दो पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
2. मूल लाइसेंस भविष्य में मिल जाने के मामले में, आवेदक को डुप्लिकेट लाइसेंस प्राधिकारी को वापस करना होगा ।
3. **निपटान** : उक्त शुल्क भुगतान करने के तीन दिनों के भीतर

- **नर्धारित शुल्क** : रुपये. 200

डाउनलोड करने से संबंधित प्रपत्र :

- [प्रपत्र एलएलडी](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

जानें कैसे अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट प्राप्त किया जाए :

- **अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :**

1. वैध ड्राइविंग लाईसेंस, पासपोर्ट एवं वीजा रखने वाले आवेदक अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।
2. प्रपत्र 4 क भरें .
3. प्रपत्र 1 क में चिकित्सा प्रमाणपत्र
4. वैध ड्राइविंग लाईसेंस
5. आवेदक के दो अद्यतन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
6. भारतीय राष्ट्रियता का वैध प्रमाण .
7. पासपोर्ट का वैध प्रमाण .
8. जहाँ लागू हो वैध वीजा का प्रमाण .
9. **निपटान** : आवेदन की तिथि के दो दिनों के भीतर .

- **देय शुल्क** : रूपये. 500

संबन्धित प्रपत्र डाउनलोड करें :

- [प्रपत्र 4क](#)
- [प्रपत्र 1 क](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)

- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

जानें कैसे मोटर वाहन पंजीकरण करना है :

- **मोटर वाहन पंजीकरण के लिए प्रक्रिया :**

1. वाहन खरीदने के इक्कीस दिनों के बाद पंजीकरण प्राधिकारी को प्रपत्र 20 में (यदि वित्त पोषक द्वारा विधिवत रूप से बन्धक हस्ताक्षरित हुआ हो दूसरी प्रति में) .
2. **निपटान** : इक्कीस दिनों के भीतर

- **मोटर वाहन पंजीकरण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज :**

1. प्रपत्र 20 (यदि वाहन बन्धक हो तो दूसरी प्रति में)
2. प्रपत्र 21 में बिक्री प्रमाणपत्र
3. वैध इन्श्योरान्स प्रमाणपत्र .
4. राज्य परिवहन प्राधिकारी / ट्रैलर या अर्ध ट्रैलर के मामले में अनुमोदन के प्रयोजन से संबन्धित प्राधिकारी से कार्यवाही की प्रति
5. भूतपूर्व सेना के वाहन के मामले में प्रपत्र 21 में संबन्धित प्राधिकारी से मूल बिक्री प्रमाणपत्र .
6. केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 4 में उल्लिखित दस्तावेजों में पता के प्रमाण स्वरूप कोई एक दस्तावेज .
7. अस्थाई पंजीकरण प्रमाणपत्र .
8. विनिर्माता से प्रपत्र 22 में सड़क पर चलने योग्य प्रमाणपत्र एवं मुख्य भाग निर्माता से प्रपत्र 22- क में प्रमाणपत्र
9. आयातित वाहन के मामले में ग्राहक अनापत्ति प्रमाणपत्र सहित लाईसेंस एवं बॉण्ड यदि कोई हो .
10. डीलर से बिक्री बीजक की प्रति .

- **निर्धारित शुल्क :**

1. अवैध कैरिज : रुपये. 20.00
2. मोटर साईकिल : रुपये. 60.00
3. हल्का मोटर वाहन : रुपये. 200.00
4. हल्का वाणिज्यिक वाहन : रुपये. 300.00
5. मध्यम आकार का माल वाहन: रुपये. 400.00
6. मध्यम आकार यात्री मोटर वाहन : रुपये. 400.00
7. भारी माल वाहन : रुपये. 600.00
8. भारी यात्री वाहन : रुपये. 600.00
9. आयातित यात्री वाहन : रुपये . 800.00
10. आयातित मोटर साईकिल : रुपये. 200.00

डाउनलोड संबन्धी प्रपत्र :

- [प्रपत्र 20](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

मोटर वाहन कैसे पंजीकरण कराएं, जानें :

• मोटर वाहन पंजीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया :

1. प्रपत्र 25 में अवधि समाप्ति के 60 दिनों के बाद पंजीकरण प्राधिकारी को आवेदन .
2. **निपटान** : वाहन के निरीक्षण के बाद सात दिनों के भीतर .

• मोटर वाहन के पंजीकरण का नवीकरण के लिए निर्धारित शुल्क :

1. अवैध कैरिज : रूपये. 20.00
2. मोटर साईकिल : रूपये. 60.00
3. हल्का मोटर वाहन : रूपये. 200.00
4. हल्का वाणिज्यिक वाहन : रूपये. 300.00
5. मध्यम आकार माल वाहन : रूपये. 400.00
6. मध्यम आकार यात्री मोटर वाहन : रूपये. 400.00
7. भारी माल वाहन : रूपये. 600.00
8. भारी यात्री वाहन : रूपये. 600.00
9. आयातित यात्री वाहन : रूपये. 800.00
10. आयातित मोटर साईकिल : रूपये. 200.00

डाउनलोड संबन्धी प्रपत्र :

- [प्रपत्र 25](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

जानें मोटर वाहन परिवर्तन करने की प्रक्रिया के बारे में :

• मोटर वाहन परिवर्तन करने की प्रक्रिया :

1. पंजीकरण प्राधिकारी को बीटीआई प्रपत्र में नोटिस .
2. परिवर्तन के बाद पंजीकृत मालिक पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं मोटर वाहन को आवश्यक प्रविष्टि के लिए प्रस्तुत करेंगे ।
3. वाहन के आवश्यक सत्यापन / निरीक्षण के बाद पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण रिकॉर्डमें प्रविष्टि करेंगे ।
4. **निपटान** :मोटर वाहन के निरीक्षण के बाद पाँच दिनों के भीतर .

• निर्धारित प्रभार :

1. रुपये. 50.00

संबन्धित प्रपत्र डाउनलोड करें :

• [प्रपत्र बी.टी.आई](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

जानें कैसे मोटर वाहन के मालिकाना परिवर्तन करेंगे :

• मोटर वाहन के मालिकाना परिवर्तन की प्रक्रिया :

1. प्रपत्र 29 (दूसरी प्रति में) एवं 30 (यदि वाहन बन्धक के अन्तर्गत है तो) के साथ :
 - • पंजीकरण प्रमाणपत्र
 - • इन्श्यूरान्स प्रमाणपत्र
 - • आवासीय पते का प्रमाण
 - • वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
2. **निपटान** : भुगतान की तिथि से पाँच दिनों के भीतर (दमण एवं दीव के अन्दर) .

• **मोटर वाहन के मालिकाना परिवर्तन के लिए निर्धारित शुल्क :**

1. अवैध कैरिज : रूपये. 10.00
2. मोटर साईकिल : रूपये. 30.00
3. हल्का मोटर वाहन : रूपये. 100.00
4. हल्का वाणिज्यिक वाहन : रूपये. 150.00
5. मध्यम माल वाहन : रूपये. 200.00
6. मध्यम यात्री मोटर वाहन : रूपये. 200.00
7. भारी माल वाहन : रूपये. 300.00
8. भारी यात्री वाहन : रूपये. 300.00
9. आयातित यात्री वाहन : रूपये. 400.00
10. आयातित मोटर साईकिल : रूपये. 100.00

संबन्धित प्रपत्र डाउनलोड करें :

- [प्रपत्र 29](#)
- [प्रपत्र 30](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

नये पंजीकरण चिह्न आबण्टन के लिए प्रक्रिया के बारे में जानें :

• **नये पंजीकरण चिह्न आबण्टन के लिए प्रक्रिया :**

1. पंजीकरण चिह्न आबण्टन के लिए प्रपत्र 27 में आवेदन सहित :
 - • आवासीय प्रमाण .
 - • प्रपत्र एफ टी में घोषणा .
 - • इन्श्यूरान्स प्रमाणपत्र
 - • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र

- • पूर्व आंचलिक परिवहन अधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र
- • यथा प्रकरण में प्रपत्र 29 या 30
- 2. **निपटान** : संबन्धित आंचलिक परिवहन अधिकारी से पुष्टि प्राप्त हो जाने के पाँच दिनों के भीतर .

• **निर्धारित शुल्क** :

1. अवैध कैरिज	:	रूपये. 20.00
2. मोटर साईकिल	:	रूपये. 60.00
3. हल्का मोटर वाहन	:	रूपये. 200.00
4. हल्का वाणिज्यिक वाहन	:	रूपये. 300.00
5. मध्यम वाल वाहन	:	रूपये. 400.00
6. मध्यम यात्री मोटर वाहन	:	रूपये. 400.00
7. भारी माल वाहन	:	रूपये. 600.00
8. भारी यात्री वाहन	:	रूपये. 600.00
9. आयातित यात्री वाहन	:	रूपये. 800.00
10. आयातित मोटर साईकिल	:	रूपये. 200.00

डाउनलोड संबन्धी प्रपत्र :

- [प्रपत्र 27](#)
- [प्रपत्र 29](#)
- [प्रपत्र 30](#)
- [प्रपत्र 33](#)
- [प्रपत्र एफटी](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

जाने कैसे अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है ::

- **अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया** :
- 1. प्रपत्र संख्या. 28 (तीसरी प्रति में) सहित :
 - • पंजीकरण प्रमाणपत्र .
 - • इन्श्यूरान्स प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि .
 - • अद्यतन रूप से मोटर वाहन की भुगताल करने का प्रमाण

- • वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
- 2. परिवहन वाहन के मामले में, उपर्युक्त दस्तावेजों के अलावा दस्तावेजिक सबूत प्रस्तुत किया जाना है :
- • कि संबन्धित वाहन के लिए किसी प्रकार की परमिट नहीं है
- • यदि वसूली लंबित नहीं है तो धारा 86 की उप धारा (5) के अन्तर्गत परमिट धारक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि
- • यात्री एवं माल पर कर भुगतान का सबूत .
- 3. • उक्त आवेदन प्राप्त होने के पश्चात पुलिस विभाग से एक रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 48 की उप धारा (5) के अन्तर्गत संबन्धित मोटर वाहन के संबन्ध में किसी प्रकार की चोरी मामला रिपोर्टित नहीं हुआ है
- 4. **निपटान** : पुलिस से अनापत्ति प्राप्त होने के पाँच दिनों के भीतर .

संबन्धित प्रपत्र डाऊनलोड करें :

- [प्रपत्र 28](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

जानें आवास परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे होती है ::

- **आवास परिवर्तन की प्रक्रिया** :
- 1. मोटर वाहन पंजीकरण प्रमाण एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र , प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, इन्श्यूरान्स प्रमाणपत्र एवं आवास प्रमाणपत्र में आवास परिवर्तन रिकॉर्ड करने के लिए प्रपत्र 33 में आवेदन सहित **Disposal** : Within Three Days (Within Daman & Diu).
- **देय शुल्क** : रूपये. 20

संबन्धित प्रपत्र डाऊनलोड करें :

- [प्रपत्र 33](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

Know How Process For Endorsement Of Hire Purchase Agreement :

- **किराये पर खरीद करार बनाने के लिए प्रक्रिया :**

1. किराये पर खरीद की प्रविष्ट के लिए आवेदन, प्रपत्र 34 (दूसरी प्रति में) मोटर वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र में पंजीकृत मालिक एवं वित्तपोषक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित बन्धक करार का पट्टा एवं इसके साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र एवं इन्श्यूरान्स प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न होगी ।
2. **निपटान** : तीन दिनों के भीतर .

- **निर्धारित शुल्क** : रुपये. 100.00

प्रपत्र डाऊनलोड करें :

- [प्रपत्र 34](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

जानें, कैसे किराये पर खरीद करार समाप्त करने की प्रक्रिया की जाती है :

- **किराये पर खरीद करार समाप्त करने की प्रक्रिया :**

1. पंजीकृत मालिक एवं वित्तपोषक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रपत्र 35 (दो प्रतियों में) एवं इसके साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र तथा इन्श्यूरान्स प्रमाणपत्र .
2. **निपटान** : शुल्क भुगतान के बाद तीन दिनों के भीतर .

- निर्धारित शुल्क : रुपये. 100.00

प्रपत्र डाउनलोड करें :

- [प्रपत्र 35 \(दो प्रतियों में\)](#)

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

जानें, पंजीकरण एवं लाईसेंस के विवरण जारी किये जाने की प्रक्रिया के बारे में :

- पंजीकरण एवं लाईसेंस के विवरण जारी करने की प्रक्रिया :
 - 1. पंजीकरण एवं लाईसेंस के विवरण जारी करने हेतु आवेदन
 - 2. **निपटान** : शुल्क भुगतान करने के दो दिनों के भीतर .
- निर्धारित शुल्क : रुपये. 20.00

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

जानें अस्थाई पंजीकरण प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें :

- अस्थाई पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए प्रक्रिया :

- अस्थाई पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन सहित निम्नलिखित संलग्न किये जाएंगे :
 - इन्श्योरान्स की प्रति
 - बिक्री प्रमाणपत्र
 - कराधान अनुसूची के अनुसार कर (त्रैमासिक) .
 - नीचे उल्लिखित शुल्क सहित कराधान अनुसूची के अनुसार कर .
- निपटान** : वाहन के निरीक्षण हो जाने के बाद तीन दिनों के भीतर अस्थाई पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

• **निर्धारित शुल्क :**

- दुपहिया के लिए** : Rs. 100.00
- सभी अन्य वाहनों के लिए** : Rs. 200.00

कराधान अनुसूची :

क) परिवहन वाहन

• **पथ कर (वार्षिक) :**

- मोटर साईकिल एवं तिपहिया वाहन**(संयोगित यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित मोटर स्कूअर एवं साईकिल सहित):रूपये.150
- यात्री वाहन (ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि सहित)**
 - 4 सीट तक : रूपये.400
 - अधिकतम 4 यात्रियों तक प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए :रूपये.50
 - 4 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए : रूपये.40
- माल वाहन (तिपहिया पिकअप वैन सहित) :**
 - डीजल के अलावा अन्य इन्धन द्वारा चालित प्रत्येक 100 कि.ग्रा. के पंजीकृत भार अथवा उसके भाग के लिए : रूपये.20
 - डीजल द्वारा चालित प्रत्येक 100 कि.ग्रा. के पंजीकृत भार या उसके भाग के लिए : रूपये.25
- उपर्युक्त के अलावा अन्य मोटर वाहन :**
 - 750 कि.ग्रा. तक अभारित वजन : Rs.350
 - 750 कि.ग्रा. से अधिक 1200 कि.ग्रा. तक : Rs.450
 - 1200 कि.ग्रा. से अधिक 20500 कि.ग्रा. तक : रूपये.600
 - 2500 कि.ग्रा. से अधिक 5000 कि.ग्रा. तक रूपये.800
 - For every 1000 कि.ग्रा. or part thereof in excess of 5000 कि.ग्रा. : Rs.150

• **मालभार कर (मासिक) :**

- तिपहिया वाहन सहित सभी परिवहन वाहन** :
 - 1000 कि.ग्रा. तक आर.एल.डब्लू : रूपये.37.50
- तिपहिया वाहन सहित सभी परिवहन वाहन** :
 - आर.एल.डब्लू 1000 कि.ग्रा. से अधिक : Rs.60

• **यात्री कर (मासिक) :**

- सभी प्रकार की बस** :
 - सभी प्रकार की बस : कुल परमिट प्राप्त अथवा प्रति कि.मी. के लिए वार्षिक रूपये. 1.50 प्रति सीट अथवा चालक के विकल्प के अनुसार प्रति सीट रूपये. 24.00 के हिसाब से .

ख) गैर - परिवहन वाहन

दमण एवं दीव में गैर - परिवहन वाहन पर कर

क्रम संख्या	पंजीकरण के चरण	मोटर साईकिल एवं तिपहिया मोटर साईकिल (मोटर स्कूटर एवं साईकिल सहित संलग्नक मैकेनिकल यंत्र सहित)	कॉलम (3) में उल्लिखित न किये गए अन्य मोटर वाहन		भारत के बाहन निर्मित मोटर वाहन एवं भारत में आयातित
			डीजल के अलावा चालित वाहन	डीजल द्वारा चालित वाहन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क.	नये पंजीकरण के समय	वाहन की कीमत का 2.5 %	वाहन की कीमत का 2.5 %	(i) जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक नहीं : कीमत का 2.5% . (ii) 10 से अधिक कीमत वाहनों के लिए : कीमत का 3.0 % .	कॉलम (3), (4) एवं (5) में उल्लिखित संबन्धित वाहन की कीमत का दुगुना
ख.	यदि मोटर वाहन का पंजीकरण हो चुका है एवं पंजीकरण के महीने से इसकी अवधि -	क्रम संख्या क में उल्लिखित एकबारगी कर का प्रतिशत	क्रम संख्या क में उल्लिखित एकबारगी कर का प्रतिशत	क्रम संख्या क में उल्लिखित एकबारगी कर का प्रतिशत	
1	दो वर्षों से अधिक नहीं	95.8	97.2	97.2	कॉलम (3), (4) एवं (5) में उल्लिखित संबन्धित वाहन की कीमत का दुगुना
2	दो वर्षों से अधिक परन्तु तीन वर्षों से अधिक नहीं	91.3	94.3	94.3	कॉलम (3), (4) एवं (5) में उल्लिखित संबन्धित वाहन की कीमत का दुगुना
3	तीन वर्षों से अधिक परन्तु चार वर्षों से अधिक नहीं	86.7	91.2	91.2	- do -
4	चार वर्षों से अधिक परन्तु पाँच वर्षों से अधिक नहीं	81.8	87.9	87.9	- वही -
5	पाँच वर्षों से अधिक परन्तु छह वर्षों से अधिक नहीं	76.6	84.5	84.5	- वही -
6	छह वर्षों से अधिक परन्तु सात वर्षों से अधिक नहीं	71.2	81.0	81.0	- वही -
7	सात वर्षों से अधिक परन्तु आठ वर्षों से अधिक नहीं	65.6	77.2	77.2	- वही -
8	आठ वर्षों से अधिक परन्तु नौ वर्षों से अधिक नहीं	59.6	73.3	73.3	- वही -
9	नौ वर्षों से अधिक परन्तु दस वर्षों से अधिक नहीं	53.4	69.1	69.1	- वही -

10	दस वर्षों से अधिक परन्तु ग्यारह वर्षों से अधिक नहीं	46.8	64.8	64.8	- वही -
11	ग्यारह वर्षों से अधिक परन्तु बारह वर्षों से अधिक नहीं	39.9	60.2	60.2	- वही -
12	बारह वर्षों से अधिक परन्तु तेरह वर्षों से अधिक नहीं	32.7	55.4	55.4	- वही -
13	तेरह वर्षों से अधिक परन्तु चौदह वर्षों से अधिक नहीं	25.1	50.4	50.4	- वही -
14	चौदह वर्षों से अधिक परन्तु पन्द्रह वर्षों से अधिक नहीं	17.2	45.1	45.1	कॉलम (3), (4) एवं (5) में उल्लिखित संबन्धित वाहन की कीमत का दुगुना
15	पन्द्रह वर्षों से अधिक परन्तु सोलह वर्षों से अधिक नहीं	--	39.6	39.6	- वही -
16	सोलह वर्षों से अधिक परन्तु सत्रह वर्षों से अधिक नहीं	--	33.8	33.8	- वही -
17	सत्रह वर्षों से अधिक परन्तु अठारह वर्षों से अधिक नहीं	--	27.7	27.7	- वही -
18	अठारह वर्षों से अधिक परन्तु उन्नीस वर्षों से अधिक नहीं	--	21.2	21.2	- वही -
19	उन्नीस वर्षों से अधिक परन्तु बीस वर्षों से अधिक नहीं	--	14.5	14.5	- वही -

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है।

मोटर वाहन कर के बारे में जानकारी :

- **मोटर वाहन कर :**

1. गोवा, दमण एवं दीव मोटर वाहन(कराधन) अधिनियम/नियमावली,1974 के यथा संशोधित दमण एवं दीव मोटर वाहन कर (संशोधित) विनियम, 2010 के अनुसार कराधान अनुसूची के तहत कर की उगाही की जाएगी की शर्त पर संलग्न प्रपत्र I में आवेदन के साथ :
 - पंजीकरण का प्रमाणपत्र
 - इन्श्यूरान्स की प्रति
 - वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
 - बीजक की प्रमाणित प्रति
 -
2. निपटान : पथ कर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक रूप से भुगतान किया जा सकता है । उसी दिन कर की प्रविष्टि कर ली जाएगी ।

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

यात्री एवं माल-सामान पर कर के बारे में जानकारी :

• यात्री एवं माल-सामान पर कर :

1. गोवा, दमण एवं दीव मोटर वाहन (यात्री एवं माल सामान पर कराधान) नियमावली, 1975 के साथ संलग्न प्रपत्र I अथवा प्रपत्र II में आवेदन/घोषणापत्र देने की शर्त पर कराधान अनुसूची के तहत कर उगाही की जाएगी :
 - पंजीकरण प्रमाणपत्र
 - इन्श्यूरान्स की प्रति
 - वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र

परिवहन निदेशालय, दमण (संघ प्रदेश)

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

- [प्रशासनिक ढाँचा](#)
- [नागरिक चार्टर](#)
- [रोस्टर](#)
- [सेवाएं](#)
- [हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न](#)
- [हमें संपर्क करें](#)

कार्यालय समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
प्रत्येक महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी का दिन होता है ।

• ख) गैर-परिवहन वाहन

दमण एवं दीव में गैर-परिवहन वाहनों के लिए कर

क्रम संख्या.	पंजीकरण के चरण	मोटर साईकिल एवं तिपहिया साईकिल(मोटर स्कूटर एवं साईकिल सहित उन्हें मैकेनिकल शक्ति से खींचने हेतु संलग्न यंत्र सहित	कॉलम (3) में उल्लेख न किये गए अन्य वाहन		भारत के बाहर निर्मित मोटर वाहन एवं भारत में आयात किया गया है
			डीजल के अलावा अन्य इंधन से चालित	डीजल द्वारा चालित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	नये पंजीकरण के समय	वाहन की लागत के 2.5 %	वाहन की लागत का 2.5%	(i) जिसकी कीमत 10 लाख रुपये से अधिक न होने पर होने पर : कीमत का 2.5% . (ii) जिस वाहन की कीमत 10 लाख से अधिक : कीमत का 3.0 % .	कॉलम (3), (4) एवं (5) में उल्लिखित संबन्धित श्रेणी के वाहन की कीमत का दुगुना
B.	यदि मोटर वाहन का पंजीकरण किया जा चुका है एवं पंजीकरण के महीने से इसकी अवधि -	क्रम संख्या क के अन्तर्गत लगाये जाने वाले एकबारगी कर का प्रतिशत	क्रम संख्या क के अन्तर्गत लगाये जाने वाले एकबारगी कर का प्रतिशत	क्रम संख्या क के अन्तर्गत लगाये जाने वाले एकबारगी कर का प्रतिशत	
1	दो वर्ष से अधिक नहीं	95.8	97.2	97.2	कॉलम (3), (4) एवं (5) में संबन्धित श्रेणी के वाहनों के लिए निर्धारित दर का दुगुना
2	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्षों से अधिक नहीं	91.3	94.3	94.3	कॉलम (3), (4) एवं (5) में संबन्धित श्रेणी के वाहनों के लिए निर्धारित दर का दुगुना
3	तीन वर्षों से अधिक परन्तु चार वर्षों से अधिक नहीं	86.7	91.2	91.2	- वही -
4	चार वर्षों से अधिक परन्तु पाँच वर्षों से अधिक नहीं	81.8	87.9	87.9	- वही -
5	पाँच वर्षों से अधिक परन्तु छह वर्षों से अधिक नहीं	76.6	84.5	84.5	- वही -

6	छह वर्षों से अधिक परन्तु सात वर्षों से अधिक नहीं	71.2	81.0	81.0	- वही -
7	सात वर्षों से अधिक परन्तु आठ वर्षों से अधिक नहीं	65.6	77.2	77.2	- वही -
8	आठ वर्षों से अधिक परन्तु नौ वर्षों से अधिक नहीं	59.6	73.3	73.3	- वही -
9	नौ वर्षों से अधिक परन्तु दस वर्षों से अधिक नहीं	53.4	69.1	69.1	- वही -
10	दस वर्षों से अधिक परन्तु ग्यारह वर्षों से अधिक नहीं	46.8	64.8	64.8	- वही -
11	ग्यारह वर्षों से अधिक परन्तु बारह वर्षों से अधिक नहीं	39.9	60.2	60.2	- वही -
12	बारह वर्षों से अधिक परन्तु तेरह वर्षों से अधिक नहीं	32.7	55.4	55.4	- वही -
13	तेरह वर्षों से अधिक परन्तु चौदह वर्षों से अधिक नहीं	25.1	50.4	50.4	- वही -
14	चौदह वर्षों से अधिक परन्तु पन्द्रह वर्षों से अधिक नहीं	17.2	45.1	45.1	कॉलम (3), (4) एवं (5) में संबन्धित श्रेणी के वाहनों के लिए निर्धारित दर का दुगुना
15	पन्द्रह वर्षों से अधिक परन्तु सोलह वर्षों से अधिक नहीं	--	39.6	39.6	-वही-
16	सोलह वर्षों से अधिक परन्तु सत्रह वर्षों से अधिक नहीं	--	33.8	33.8	- वही -
17	सत्रह वर्षों से अधिक परन्तु अठारह वर्षों से अधिक नहीं	--	27.7	27.7	- वही -
18	अठारह वर्षों से अधिक परन्तु उन्नीस वर्षों से अधिक नहीं	--	21.2	21.2	- वही -
19	उन्नीस वर्षों से अधिक परन्तु बीस वर्षों से अधिक नहीं	--	14.5	14.5	- वही -

• ग) ग्रीन कर

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी एवं अवधि	अधिकर की दर रूपये में
1.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा(10) के अनुसार गैर-परिवहन वाहन जो अपने पंजीकरण की तिथि से पन्द्रह वर्ष पूरा कर लिया है पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय	

	दुपहिया वाहन	250.00 प्रति पाँच वर्ष हेतु
	दुपहिया वाहन के अलावा	500.00 प्रति पाँच वर्ष हेतु
2.	मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 के अनुसार परिवहन वाहन जो अपने पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि पूरा कर चुका है, उस समय या उपयुक्तता प्रमाणपत्र नवीकरण के समय	
	मोटर साईकिल	200.00 वार्षिक
	अटो रिक्शा (माल-सामान एवं यात्री)	300.00 वार्षिक
	(c) मोटर कैब एवं मैक्सी कैब	400.00 वार्षिक
	(d) हल्का वाणिज्यिक वाहन (माल-सामान एवं यात्री)	500.00 वार्षिक
	(e) मध्यम आकार का वाणिज्यिक वाहन (माल-सामान एवं यात्री)	600.00 वार्षिक
	(f) भारी वाहन (माल-सामान एवं यात्री)	1000.00 वार्षिक